संख्या-36/2372 ई-2/तेरह-2014-59/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 08 दिसम्बर,2014

विषय:-प्रभावी शीरा नीति वर्ष 2013-14 के प्रस्तर-2 के आलोक में बहेडी आसवनी को आरक्षित शीरे की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-62/दस-185/देशी मदिरा/आ0शी0आ0/2009-10, दिनांक 01 अक्टूबर,2014 तथा पत्र संख्या-जी-79/दस-185/देशी मदिरा/आ0शी0आ0/2009-10, दिनांक 18 नवम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01 अक्टूबर,2014 एवं 18 नवम्बर,2014 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रभावी शीरा नीति वर्ष 2013-14 के प्रस्तर-2 के आलोक में मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेडी, बरेली को शीरा वर्ष 2013-14 में माह अगस्त,2014 में तथा माह सितम्बर,2014 में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अधिक उपभोग की गई शीरे की मात्रा क्रमश: 16,617.22 कुण्टल एवं 16,195.63 कुण्टल शीरे की मात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/Antra